(01)

यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

महेन्द्र रविदास वगै0 बनाम् अशोक रविदास वगै0

विविध वाद संख्या –53/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

श की सं0 र तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर व गई कार्यवाई बारे में टिप्प तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. महेन्द्र रविदास, पिता – स्व0 दिनेश्वर रविदास,
2. रामचन्द्र दास, पिता – समन दास,

ग्राम– बन्दखारो, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. अशोक रविदास, पिता – स्व0 बंधन रविदास,
2. बिनोद रविदास, पिता – स्व0 बंधन रविदास,
3. चेतलाल रविदास, पिता – स्व0 बंधन रविदास,
4. सुखदेव रविदास, पिता – स्व0 हुलास रविदास,
5. तुलसी रविदास, पिता – स्व0 बालदेव रविदास,
6. सुनिल रविदास, पिता – स्व0 बालदेव रविदास,
7. पंकज रविदास, पिता – स्व0 बालदेव रविदास,

सभी साकिन– बन्दखारो, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बन्दखारो	52	493	75 डी0	उ0– बकास्त मालिक, द0– टोगरी, पू0– गणेश सुण्डी, प0– रास्ता।
		494	01 डी0	उ0– बकास्त मालिक, द0– टोगरी, पू0– गणेश सुण्डी, प0– रास्ता।
		491	20 डी0	उ0– तिलवा बढई, द0– बकास्त मालिक, पू0– तिलवा बढई, प0– रास्ता।
		241	11 डी0	उ0– परती कदीम, द0– बकास्त मालिक, पू0– परती कदीम, प0– बकास्त मालिक।

30.05.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने-अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 14.03.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है :-

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. भोलवा चमार के नाम से ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति– कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. कोकिल चमार वगै0 के नाम से ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

प्रथम पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि उपरोक्त जमीन प्रथम पक्ष को सर्वे खतियान में भोलवा चमार के नाम से दर्ज है। उपरोक्त जमीन मौजा – बन्दखारों, थाना नं0 – 91, खाता नं0 – 52 में है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि प्रथम पक्ष का जमीन अंचल कार्यालय, सरिया थाना – सरिया, थाना नं0 – 91, मौजा – बन्दखारों के खाता नं0 – 52 (1) प्लॉट नं0 – 493, रकबा – 75 डी0, चौहदी उ0 – बकास्त मालिक, द0 – टोगरी, पू0 – गणेश सुण्डी, प0 – रास्ता, (2) प्लॉट नं0 – 494, रकबा – 01 डी0, चौहदी उ0 – बकास्त मालिक, द0 – टोगरी, पू0 – गणेश सुण्डी, प0 – रास्ता, (3) प्लॉट नं0 – 491, रकबा – 20 डी0, चौहदी उ0 – तिलवा बढई, द0 – बकास्त मालिक, पू0 – तिलवा बढई, प0 – रास्ता, (4) प्लॉट नं0 – 241, रकबा – 11 डी0, चौहदी उ0 – परती कदीम, द0 – बकास्त मालिक, पू0 – परती कदीम, प0 – बकास्त मालिक अवस्थित है।

आवेदन का प्वांइट नं0 06 – यह कि दिनांक 09.03.2024 को द्वितीय पक्ष के सदस्यगण कुछ गुण्डों के साथ उपरोक्त जमीन पर आये और उस जमीन पर ईटा इक्ट्ठा करना और नीव खोदना शुरू कर दिया। प्रथम पक्ष और उनके परिवार के सदस्यगण उन्हें नीव खोदने से रोका तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष और उनके परिवार के सदस्यों को परिवार के सदस्य को मारने पर उतारू हो गये। परन्तु मोहल्ले के लोग के समय पर हस्तक्षेप करने के स्थिति नियंत्रण में रही है। घटना के तुरंत बाद मामले की सूचना संबधित थाने को दी गई परन्तु संबंधित थाने द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है।

पुनः प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 30.05.2024 को निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किये गये–

1. मौजा – बन्दखारों, खाता नं0 – 30 के सर्वे खतियान की छायाप्रति– कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
2. मौजा – बन्दखारों, खाता नं0 – 52 के सर्वे खतियान की छायाप्रति– कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
3. मुखिया एवं राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा सत्यापित वंशावली की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
4. Original (P) Suit No. & 206 of 2019 Date the 18th sep 2023 (Jageshwar Ravidas Others VS Kewal Ravidas Others) की आदेश की छायाप्रति– कुल – 13 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 07.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**

30.05.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

2. सरजमीन का वर्त्तमान फोटो – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. सर्वे खतियान, खाता नं0 – 30 वो 52 की छायाप्रति – कुल 09 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. जमींदारी रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
5. ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**
6. ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-6**
7. केवाला संख्या – 14913, दिनांक – 31.12.1975 की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-7**

द्वितीय पक्ष के लिखित कारण–पृच्छा में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – यह कि यह वाद थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन की पत्रांक सं0 – 706/2024, दिनांक – 08.04.2024 के आधार पर खाता नं0 – 52, प्लॉट नं0 – 493, 494, रकबा – 73 डी0, चौहदी उ0 – बकास्त मालिक, द0 – टोगरी, पू0 – गणेश सुण्डी, प0 – रास्ता वो प्लॉट नं0 – 491, रकबा – 20 डी0, उ0 – तिलवा बढई, द0 – बकास्त मालिक, पू0 – तिलवा बढई, प0 – रास्ता वो प्लॉट नं0 – 241, रकबा – 11 डी0, उ0 – परती कदीम, द0 – बकास्त मालिक, पू0 – परती कदीम, प0 – बकास्त मालिक के चौहदी पर वाद की प्रारम्भ किया गया है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि सर्वे खतियान खाता नं0 – 52, प्लॉट नं0 – 493, 494, रकबा – 73 डी0, चौहदी उ0 – बकास्त मालिक, द0 – टोगरी, पू0 – गणेश सुण्डी, प0 – रास्ता वो प्लॉट नं0 – 491, रकबा – 20 डी0, उ0 – तिलवा बढई, द0 – बकास्त मालिक, पू0 – तिलवा बढई, प0 – रास्ता वो प्लॉट नं0 – 241, रकबा – 11 डी0, उ0 – परती कदीम, द0 – बकास्त मालिक, पू0 – परती कदीम, प0 – बकास्त मालिक जमीन रैयती खाते की है सर्वे खतियान भोलवा चमार वगैरह के नाम से दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – यह कि सर्वे खतियान की जमाबंदी पंजी 2 के पेज नं0 – 39, भाग – 8 में रैयत कोकिल चमार, होरिल चमार, हुलाश चमार, केशव चमार, बिशुन चमार वो रूपन चमार के नाम से जमाबंदी दर्ज है जिसमें रकबा 2 एकड 63.25 डी0 जमाबंदी दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 07 – यह कि प्लॉट नं0 – 493, रकबा – 75 डी0, का है जिसपर लगभग 10–12 मकान द्वितीय पक्ष का है जिसपर पिढ़ी दा पिढ़ी निवास करते आ करते है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 08 – यह कि प्लॉट नं0 – 494, रकबा – 01 डी0, जिसमें सर्वे खतियान में मकान सहन दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 09 – यह कि प्लॉट नं0 – 491, रकबा – 20 डी0, पर द्वितीय पक्ष का मिटी का मकान है जिसको तोड कर अबुवा आवास निर्माण करने के उद्देश्य से बुनियाद की खुदाई किये हुए है और शेष 18 डी0 पर द्वितीय पक्ष के सदस्य तुलसी रविदास और सुखदेव रविदास का मकान बना हुआ है।

<u>थाना सरिया का प्रतिवेदन –</u>

थाना प्रभारी, सरिया का **DR No. - 706/24,** दिनांक – 08.04.2024; कुल 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ); प्रदर्श **C-1**

30.05.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

...लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बन्दखारों	52	493	75 डी0	उ0– बकास्त मालिक, द0– टोंगरी, पू0– गणेश सुण्डी, प0– रास्ता।
		494	01 डी0	उ0– बकास्त मालिक, द0– टोंगरी, पू0– गणेश सुण्डी, प0– रास्ता।
		491	20 डी0	उ0– तिलवा बढई, द0– बकास्त मालिक, पू0– तिलवा बढई, प0– रास्ता।
		241	11 डी0	उ0– परती कदीम, द0– बकास्त मालिक, पू0– परती कदीम, प0– बकास्त मालिक।

2. प्रथम पक्ष के द्वारा खाता नं0 – 30 और खाता नं0 – 52 का खतियान समर्पित किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि खाता नं0 – 30 भोलवा चमार और लटुवा चमार के नाम से सम्मिलित है तथा खाता नं0 – 52 केवल भोलवा चमार के नाम पर है।

3. उक्त विवादित जमीन का सभी प्लॉट (493, 494, 491 तथा 241) खाता 52 का है।

4. प्रथम पक्ष का कहना है कि जब विवादित सभी प्लॉट खाता 52 का है और खाता 52 अकेले भोलवा चमार के नाम पर है तो द्वितीय पक्ष जो कि लटुआ चमार के वंशज है, उनका अधिकार इस पर कैसे हो सकता है।

5. पुनः प्रथम पक्ष के द्वारा Civil Judge (Sr. Divi.) – II गिरिडीह के न्यायालय से निर्गत Original (P) Suit No. – 206/2019 के Final आदेश की कॉपी प्रस्तुत की गई है, जिसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा, खाता 52 के सभी प्लॉट में, हिस्सा का माँग किया गया था, परन्तु Civil Court के द्वारा उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष (जो कि उक्त Civil suit में प्रथम पक्ष थे) को, Civil Court से खाता 52 में कोई अधिकार देने से मना कर दिया गया ।

6. प्रथम पक्ष के उपस्थित सदस्यों का कहना है कि भूलवश खाता 52 के जमाबंदी में द्वितीय पक्ष के सदस्यों का नाम भी चढ़ गया है जिसे सुधार करने के लिए हमलोग प्रयासरत हैं।

7. प्रथम पक्ष के उपस्थित सदस्यों के द्वारा यह कहा गया कि इस वाद को लाने के पूर्व, खाता 52, प्लॉट 241, 491, 493 तथा 494 (इस वाद की विवादित भूमि) पर, द्वितीय पक्ष का जो भी मकान बना है उसे स्वीकार करते हैं, परन्तु खाली भूमि पर अब कोई निर्माण कार्य नही करने देंगे।

30.05.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

अतः इस वाद में, प्रथम पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है; तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को संपुष्ट किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने से रोका जाता है। (खाता नं0 – 52, प्लॉट नं0 – 241, 491, 493 तथा 494 पर वाद के पूर्व बने मकान को छोड़कर)

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30.05.2024	30.05.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी	अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।	बगोदर–सरिया।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 11:02:05 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with CamScanner